



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 माघ 1947 (श10)
(सं0 पटना 80) पटना, मंगलवार, 27 जनवरी 2026

वित्त विभाग

अधिसूचना
22 जनवरी 2026

सं0 1/स्था0(अंके0)-04/2023/851/वि0—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार अंकेक्षण सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी को उप निदेशक के पद का उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-12) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है—

क्र0	पदाधिकारी का नाम	मूल कोटि की वरीयता क्रमांक (सिविल लिस्ट, 2025 के अनुसार)	वर्तमान पद/वेतन स्तर
1	2	3	4
1	श्री विश्वजीत कुमार सिन्हा	13/2025	सहायक निदेशक (वेतन स्तर-11)
2	श्री मनोज कुमार सिंह	15/2025	सहायक निदेशक (वेतन स्तर-11)
3	श्री अखिलेश्वर मिश्र	16/2025	सहायक निदेशक (वेतन स्तर-11)

- यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।
- उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक उप निदेशक विहित वेतनमान (वेतन स्तर-12) में उत्क्रमित किया जाता है।
- उपरोक्त पदाधिकारियों के अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार हेतु आवश्यक अर्हता नहीं होने का तथ्य भविष्य में परिलक्षित होने पर उक्त पदाधिकारी को उच्चतर पद पर दी गई अस्थायी स्थानापन्न

कार्यकारी प्रभार के आदेश को इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के प्रभाव से वापस लिया जा सकेगा।

5. पदाधिकारियों को उनके उप निदेशक का पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अक्षय कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 80-571+10-डी0टी0पी0
Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>